संख्या -11/379/84-2-2013-सीपी 9/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
इलाहाबाद।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 सितम्बर,2013

विषय सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-54072/2012 भूदेव सिंह व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-रिट 32/84-2-2012-सीपी 9/2012, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका में राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने एवं प्रभावी पैरवी करने हेतु आपको अधिकृत करते हुए प्रस्तरवार आख्या/आवश्यक अभिलेख संलग्न कर भेजते हुए यह निर्देशित किया गया था कि प्रकरण में प्रतिशपथ पत्र समयान्तर्गत तैयार/दाखिल करवाकर दाखिल प्रतिशपथ पत्र की प्रति शासन को उपलब्ध करा दी जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की सूचना प्राप्त न होने के कारण शासन के पत्र संख्या-98/84-2-2013-सीपी 9/2012, दिनांक 09 अप्रैल, 2013 एवं संख्या-197/84-2-2013-सीपी 9/2012, दिनांक 20 मई, 2013 द्वारा आपको अनुस्मृत कराया गया है, किन्तु प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की सूचना एवं इसकी प्रति अभी तक आपके द्वारा नहीं उपलब्ध करायी गयी है। अत: कृपया इसे शासन को एक सप्ताह के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in